न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/312

1. मिथलेश कंवर पत्नी तेजराज सिंह जाति राजपूत निवासी म0नं0 83 बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. दीपिका सिंह पत्नी बलराज सिंह जाति राजपूत निवासी म0नं0 81–82 आदर्श नगर, देवली अरब बोरखेड़ा कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज गंगाबिशन जाति खाती निवासी ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. पन्ना आत्मज धूल्या जाति खाती निवासी ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. भवानीशंकर आत्मज जगन्नाथ
4. रामेश्वर आत्मज जगन्नाथ
   4/1 मन्जू बाई पत्नी स्व0 रामेश्वर
   4/2 विनोद पुत्र रामेश्वर
   4/3 कुलदीप पुत्र स्व0 रामेश्वर
   4/4 सूरजकला पुत्री स्व0 रामेश्वर
   4/5 राजकला पुत्री स्व0 रामेश्वर नाबालिग जरिये वली माता मन्जू बाई पत्नी स्व0 रामेश्वर निवासीगण खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5. कान्ति पुत्री जगन्नाथ
6. गुड्डी पुत्री जगन्नाथ जाति खाती निवासीगण ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
7. राधेश्याम आत्मज जानकीलाल
8. मन्जू पुत्री जानकीलाल
9. सुगना पुत्री जानकीलाल
   9/1 बिंतेश पुत्री पुष्पचन्द पत्नी लीलाधर
   9/2 मनोज पुत्र पुष्पचन्द
   9/3 राजकिरण पुत्री पुष्पचन्द
   जातियान खाती निवासीगण ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
10. कमला बाई बेवा जानकीलाल जाति खाती निवासीगण ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

11. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0 —रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—

1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1, 4/2, 4/3 की ओर से।
3. श्री महेन्द्र नागर, अभिभाषक रेस्पो. 2, 3, 5, 7 की ओर से।
4. श्री अमर सिंह, अभिभाषक, रेस्पो. 9/1 लगायत 9/3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.12.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 34/2013 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 299 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं0 301 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं0 327 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नं0 328 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नं0 335 रकबा 3.83 हेक्टर, कुल 5 किता की 6.65 हेक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 9 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 संलग्न है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नं० 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी न0 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 का 1/4 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि शामलाती कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उपरोक्त भूमियों में वादी का 1/4 हिस्सा है तथा वादी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि की काश्त की सुविधा हेतु प्रतिवादीगण की सहमति से वादी खसरा नम्बर 335 की भूमि में से 1.66 हेक्टर भूमि को काश्त कर रहा है और इस खसरा नम्बर की भूमि में से 1.66 हेक्टर प्रतिवादी नं० 1 काश्त कर रहा है व इसी भूमि की शेष भूमि को अन्य प्रतिवादीगण अन्य भूमियों के साथ काश्त कर रहे है। किन्तु प्रतिवादी नं० 1 के मन में बदनियती आ गयी है और प्रतिवादी नं० 1 वादी के 1/4 हिस्से की ख0न0 335 की 1.66 हेक्टर भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा रहता है। जिसका कि प्रतिवादी नं० 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 आये दिन वादी से द्वेषता रखता है वादी के कब्जे काश्त की भूमि में जबरन मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा रहता है और आये दिन भूमि को लेकर

झगड़ा करता रहता है तथा लगान आदि जमा करने में भी विवाद पैदा करता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से उपरोक्त भूमि का बंटवारा कराने को दिनांक 5–4–2013 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया। तथा वादी को बिना बंटवारा हुये वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व बिना विभाजन के भूमि को बेचान करने की धमकी दी। इस कारण वादी के लिये उपरोक्त भूमियों का विभाजन कराये जाना एवं प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी नं० 1 दिनांक 05–04–2013 को वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व वादी को काश्त न करने की धमकी देने पर व वादी द्वारा बंटवारे की कहने पर प्रतिवादी नं० 1 द्वारा मना करने व बिना विभाजन कराये भूमि बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 10 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है एवं अन्य प्रतिवादी सहखातेदार होने से उन्हें भी पक्षकार बनाया गया। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने प्रतिवादी नं0 10 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि–(1) वाद पत्र की मद नं० 1 में अंकित ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद की भूमि खसरा नं0 299 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं0 301 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं० 327 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नं0 328 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नं0 335 रकबा 3.83 हेक्टर कुल 5 किता की 6.65 हेक्टर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य होलिंडग विभाजन कर वादी के 1/4 हिस्से की भूमि को अलग किया जाकर वादी के अलग खाते में दर्ज की जाने की डिक्री प्रदान की जावे । (2). कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद की भूमि खसरा नम्बर 335 की 3.83 हेक्टर भूमि में से 1.66 हेक्टर भूमि पर अथवा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से पर वादी को काश्त करने से नहीं रोके ओर भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा उक्त भूमि को बिना विभाजन के रहन बेचान नहीं करे। (3). कि प्रतिवादी नं0 10 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (4). कि वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (5). अन्य न्यायोचित सहायता जो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 06.06.2024 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4/2, 4/3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5, 7 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 9/1 लगायत 9/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 05.11.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में अपने अधिवक्ता के पास आये तब पता चला कि दिनांक 06.06.2024 को उक्त वाद का फैसला हो चुका है जिसकी नकल का आवेदन दिनांक 05.11.2024 को किया गया तथा जिसकी नकल दिनांक 07.11.2024 को प्राप्त हुई तथा अपीलांट्स के द्वारा उक्त जानबूझकर देरी नहीं की गई है जो सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। डिले कन्डोन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन करने की कृपा करें। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने

में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के हक अधिकारों की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2024 से अपीलांटगण प्रभावित पक्षकार है। अपीलांटगण व्यथित पक्षकार होने के कारण एवं उक्त वाद में अपना हित होने के कारण एवं रेकार्डेड खातेदार होने के कारण अपना हित निहित है इस कारण माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित पक्षकार यानी एग्रीव्ड परसन होने से अपील पेश करने व गुणावगुण के आधार पर अपील निर्णित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अन्त में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 06.06.2024 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एवं बिना पक्षकार बनाये ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो चुका था जिसके अनुसार अपीलांट्स ने उक्त आराजी खरीद की गई थी तथा उसी के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा अपीलांट्स द्वारा ख०नं० 383 की रकबा 1.36 है० एवं ख0नं0 382 की 0.14 है। लगभग भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उक्त भूमि पर अपीलांट्स के द्वारा ट्यूबवैल लगा रखी है तथा मकान भी बना रखा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की सहमति से नही करते हुये एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं देकर पारित कर दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार दीगोद के द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें न तो पक्षकारो के हस्ताक्षर है ना ही तहसीलदार दीगोद के तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सराकारी नियम 18–21 की पालना नहीं की गई इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिकी डिक्री दिनांक 21.06.2016 को जारी कर दी गई थी उसके बाद विभाजन प्रस्ताव आने के बाद दिनांक 08.04.2024 को फाईनल डिक्री जारी की गई उसके पश्चात संशोधित डिक्री दिनांक 06.06.2024 को जारी कर दी गई। इस

प्रकार कानूनन जो डिक्रीयां जारी की गई वह विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांटगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 05.11.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में अपने अधिवक्ता के पास आये तब पता चला कि दिनांक 06.06.2024 को उक्त वाद का फैसला हो चुका है जिसकी नकल का आवेदन दिनांक 05.11.2024 को किया गया तथा जिसकी नकल दिनांक 07.11.2024 को प्राप्त हुई तथा अपीलांट्स के द्वारा उक्त जानबूझकर देरी नहीं की गई है जो सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। डिले कन्डोन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि अपीलांट्स व्यथित पक्षकार होने के कारण एवं उक्त वाद में अपना हित होने के कारण एवं रेकार्डेड खातेदार होने के कारण अपना हित निहित है इस कारण माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.04.2024 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06.06.2024 को निरस्त किए जाने एवं उक्त अपील को रिमाण्ड की जाकर पुनः सुनवाई हेतु आदेश प्रदान किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे, अपीलांट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5, 7 ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि यह अपील सहायक कलेक्टर दीगोद के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 की अप्रसन्नता से अपीलान्टान सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विभाजन की डिक्री व अन्तिम डिक्री को गलत बनाया गया है। उसको निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलान्टान पक्षकार नहीं थे। दौराने दावा वादी रेस्पो० नं० 1 ने अपीलान्टान को विवादित भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 07.06.2019 को किया गया था किन्तु अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाये गये किन्तु इसके बावजूद भी अपीलान्टान को विभाजन की अन्तिम डिक्री में ख0न0 382 की 0.58 हेक्टर व खसरा नम्बर 383 की 0.52 हेक्टर कुल 1.50 हेक्टर विभाजन में दे दी। तथा रेस्पो नं0 2, 3, 5, 7 के पास जो मोके पर भूमि है वह भूमि अन्य को विभाजन में दे दिये है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो० नं० 1 ने ग्राम गोकुलपुरा की 5 किता की 6.65 हेक्टर भूमि के बाबत विभाजन का दावा पेश किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बगतरी की भूमि को भी शामिल कर निर्णय व डिक्री जारी की गयी है जो गलत है। तथा खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन पूर्व में हो गया था ओर उसी अनुसार पक्षकारान मोके पर काबिज

काश्त चले आ रहे है किन्तु मोके के अनुसार विभाजन कर एक दूसरे के कब्जे की भूमि अन्य को दी गयी है जिसे पक्षकारान में विवाद बढ गया हे इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। माननीय न्याायलय को उपरोक्त आधारों पर अपीलान्टान की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्याायलय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06–2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाना आवश्यक व न्याय हित में है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9/1 लगायत 9/3 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया।

11. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4/2, 4/3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है तथा अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तथा पक्षकारान के निहित हक हिस्से अनुसार ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव में अपीलांटगण को ग्राम बगतरी की आराजी खसरा संख्या 382 व 383 में 1.50 हैक्टेयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। ग्राम बगतरी की आराजी में अपीलांटगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव में भूमि अपीलांटगण को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। अपीलांटगण के खाते में जितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उतनी ही भूमि को विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। अतः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.08.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी के विभाजन की

अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 से अपीलांट के कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के बावजूद भी विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है अतः अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत किए जाने में किया गया विलम्ब क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

12. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया है तथा अपीलांट ने स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित

पक्षकार होने का कथन करने हेतु अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को पक्षकार कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार अपीलांटगण ग्राम बगतरी तहसील दीगोद की प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे अतः अपीलांटगण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बगतरी तहसील दीगोद की खाता संख्या 67 की किता 8 रकबा 6.1 हैक्टेयर एवं ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद की खाता संख्या 82 की किता 5 रकबा 6.65 हैक्टेयर भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम बगतरी तहसील दीगोद की प्रश्नगत खाता संख्या 67 की कुल किता 8 रकबा 6.01 हैक्टेयर भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि अपीलांटगण ग्राम बगतरी की प्रश्नगत आराजी के अभिलिखित सहखातेदार है अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने के कारण हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकार थे, जिन्हें पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को पक्षकार कायम नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को पक्षकार कायम किए बिना तथा अपीलांटगण को सुने बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 पारित की गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिन्हें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 34/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक

06.06.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार कायम करें तथा अपीलांटगण को जवाबदावा एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी. पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 21.01.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

15. निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा